प्रेस विज्ञप्ति

22.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)**, 2002** के प्रावधानों के तहत नितेश अग्रवाल और विनोद कुमार गोयल से संबंधित अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में **3.99** करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अंनतिम रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने सरकारी बैंक खातों से पैसे के गबन द्वारा नगर परिषद, भिवानी की सरकारी निधियों के दुरुपयोग के लिए नगर परिषद समिति,भिवानी के अधिकारियों/प्रतिनिधियों, एक निजी बैंक के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भिवानी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि 14.31 करोड़ रुपए की सरकारी निधियां नगर परिषद, भिवानी के लेखा अनुभाग की कैश बुक में उपरोक्त लेनदेन की किसी भी संबंधित प्रविष्टि के बिना नगर परिषद, भिवानी के एक्सिस बैंक खातों से विभिन्न फर्मों को हस्तांतरित की गई थी। नगर परिषद,भिवानी के एक्सिस बैंक खातों से लेखा पुस्तकों में बिना किसी प्रविष्टि के स्थानांतरित की गई **14.31** करोड़ रुपए की उक्त राशि अपराध की आय है। नगर परिषद,भिवानी के एक्सिस बैंक खातों से विभिन्न फर्मों को हस्तांतरित की गई राशि को बाद में नगर परिषद,

भिवानी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा एक्सिस बैंक प्रबंधक नितेश अग्रवाल और अन्य निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से नकद में निकाल लिया गया। इन नकद राशियों का उपयोग मकानों के निर्माण और प्लाटों की खरीद में किया गया है।

नितेश अग्रवाल और विनोद कुमार गोयल के पास लाभकारी रूप से स्वामित्व में प्लॉटों और मकानों के रूप में भिवानी में स्थित **3.99** करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियां अपराध की आय के रूप में पाए गए हैं और इसलिए पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार कुर्क की गई हैं।

आगे की जांच जारी है।

****